लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
खण्ड–3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर–0771–2445215, Email ld&cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./स्था.01/स्थानां./न्याय.प्रक./30/2022–23/28 नवा रायपुर, दिनांक 18/01/2023

प्रति,

सर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषयः– स्थानांतरण निरस्त/संशोधन करने के संबंध में वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनों अभिमत/टीप के संबंध में।

संदर्भः–1. छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक/67/08/2022/1–6, दिनांक 13.01.2023।
2. छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कमांक/129/4163/2022/20–दो, दिनांक 12.01.2023।
3. छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कमांक/192/4163/2022/20–दो, दिनांक 13.01.2023।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र माध्यम से स्थानांतरण निरस्त/संशोधन करने के संबंध में वरिष्ठ सचिवों की समिति में अभ्यावेदनों पर मान्य/अमान्य, की गई अनुशंसा की गई है। जिन प्रकरणों को अमान्य किया गया है उन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें, जिन प्रकरणों के अभ्यावेदन को समिति द्वारा मान्य किया गया है उन्हें अभी कार्यमुक्त न करें। शासन स्तर से इन प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

स्थानान्तरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक – श्री जी॰पी॰ बनर्जी
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
पण्डरिया,
जिला–कबीरधाम (छ॰ग॰)

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 11.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री जी॰पी॰ बनर्जी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया जिला कबीरधाम का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर शाससकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पासीद, विकासखण्ड–बिल्हा जिला बिलासपुर में किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री बनर्जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7165/2022 दायर की गई है। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा श्री बनर्जी को समिति के समक्ष 12 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिये गए है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री बनर्जी द्वारा वरिष्ठ सचिवों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है अभ्यावेदक वर्ष 2019 से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया, जिला कबीरधाम के पद पर कार्यरत है तथा वर्ष 2014 में प्राचार्य के पद पर पदोन्नत हुए हैं। उनके स्थान पर मोहम्मद फिरोज खान, व्याख्याता (एल.बी.) को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है जो कि उनसे बहुत कनिष्ठ है। उक्त स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के कंडिका 2.9 का उल्लंधन हुआ है। अतः उपरोक्त आधार पर स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। अभ्यावेदक श्री बनर्जी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। उक्त स्थांनांतरण में अभ्यावेदक के स्थान पर उनसे कनिष्ठ कर्मचारी को प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है जो स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के कंडिका 2.9 का उल्लंधन है। अतएव समिति अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी)	(डी.डी.सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव,	सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त, नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
तथा अध्यक्ष	विकास विभाग तथा सदस्य	तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–**श्रीमती गायत्री चक्रधारी,**
व्याख्याता (एल॰बी॰) संस्कृत टी. संवर्ग
शासकीय हाई स्कूल करिहा
विकासखण्ड–चरामा
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 11.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती गायत्री चक्रधारी, व्याख्याता (एल.बी.) संस्कृत टी.संवर्ग, शासकीय हाई स्कूल करिहा, विकासखण्ड–चरामा जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ॰ग॰) का ऐच्छिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला करमरी विकासखण्ड– मोहला जिला–राजनांदगांव (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ श्रीमती गायत्री चक्रधारी द्वारा दिनांक निरंक को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उक्त स्थानांतरण आदेश में जिस स्थान पर अभ्यावेदिका का स्थानांतरण किया गया है उसी स्थान पर श्री मनोज कुमार जगने व्याख्याता टी.(एल.बी.) विषय–संस्कृत का भी स्थानांतरण किया गया है। नवीन पदस्थापना विद्यालय में व्याख्याता टी.एल.बी. विषय संस्कृत का एक ही पद स्वीकृत है, जिसके अनुक्रम में अभ्यावेदिका अतिशेष हो गई है एवं नवीन पदस्थापना विद्यालय में पद रिक्त नहीं है। अभ्यावेदिका द्वारा लेख किया गया है कि नवीन पदस्थापना विद्यालय की दूरी मुख्य मार्ग से लगभग 25 कि.मी. दूर वनांचल क्षेत्र में है जिससे उन्हे आने –जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही दूरी अत्याधिक होने के कारण अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः उपरोक्त आधार पर उक्त स्थानांतरण संशोधन कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला माहुद विकासखण्ड– अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव (छ॰ग॰) अथवा शासकीय हाई स्कूल देवरसुर विकासखण्ड–अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव (छ॰ग॰) (रिक्त पदों की जानकारी संलग्न है) करने का अनुरोध किया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। श्रीमती गायत्री चक्रधारी द्वारा ऐच्छिक आधार पर स्थानांतरण हेतु विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया था परन्तु विभाग द्वारा वांछित स्थान पर 02 शिक्षकों जिसमें एक श्री मनोज कुमार जगने व्याख्याता टी.(एल.बी.) विषय–संस्कृत का भी पदस्थापना कर दिया गया है। श्री मनोज कुमार जगने व्याख्याता विषय–(संस्कृत) कार्यभार ग्रहण चुके हैं। अतः नवीन पदस्थापना स्थान में रिक्त पद नहीं है जो उक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 के अनुरूप नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन मान्य की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–**श्री प्रकाश पड़वार**
व्याख्याता (एल॰ बी॰) रसायन शास्त्र
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरदा
विकासखण्ड– कटघोरा
जिला–कोरबा (छ॰ग॰)।

-----00-----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 11.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री प्रकाश दास पड़वार, व्याख्याता (एल॰बी॰) रसायन शास्त्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरदा, विकासखण्ड–कटघोरा जिला–कोरबा (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू.पी.एस. 7076/2022 दायर की गई है उक्त याचिका में दिनांक 07.11.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदक श्री पड़वार द्वारा दिनांक 17.10.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदक का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.2 अनुसार "ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या शून्य हो जाए" तथा कंडिका 3.3, 3.4 एवं 3.9 का उल्लंघन हुआ है। अतः वर्तमान स्कूल में रसायन विषय पढ़ने वाले 205 छात्रों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। श्री प्रकाश दास पड़वार उनके वर्तमान पदस्थापना विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरदा, विकासखण्ड–कटघोरा जिला–कोरबा (छ॰ग॰) में रसायन के एकल शिक्षक हैं जिनके स्थानांतरण उपरांत उनके स्थान पर किसी अन्य रसायन विषया के शिक्षक की पदस्थापना की नहीं की गई है जिससे रसायन विषय के शिक्षक की संख्या शून्य हो गई है, जो स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के अनुरूप नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा सदस्य	तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–**श्रीमती भारती मोटघरे** ,
व्याख्याता (एल॰बी॰) रसायन शास्त्र
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंगोराभाठा,
जिला रायपुर (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 15/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती भारती मोटघरे, व्याख्याता रसायन शास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंगोराभाठा, रायपुर जिला–रायपुर (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोरसी विकासखण्ड–आरंग जिला–रायपुर (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6897/2022 दायर की गई है। उक्त याचिका में दिनांक 02.11.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है।

2/ अभ्यावेदिका श्रीमती मोटघरे द्वारा दिनांक 07.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदिका के एक 3 वर्षीय बेटी है जिसे एनिमिया है जिसे प्रत्येक 15 दिवस मे शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ता है और अभ्यावेदिका के पुत्री का ईलाज रायपुर में ही संभव है। अभ्यावेदिका का नवीन पदस्थापना विद्यालय वर्तमान स्थान से 80 कि.मी. दूर है जहां बस की भी सुविधा नहीं है। जिसके कारण बच्चे के स्वास्थ्य में चिकित्सा एवं दवाईया समय पर उपलब्ध नहीं हो पायेगी। अभ्यावेदिका के पति दुर्ग जिले में पदस्थ है अतः बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अभ्यावेदिका पर ही है। अतः उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। श्रीमती मोटघरे का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा अपने बच्चे के स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने अनुरोध किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा सदस्य वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती सविता सिंह
व्याख्याता एल.बी हिन्दी
शा.उ.मा.विद्यालय सरगंवा
वि.खं. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।

समिति की अनुशंसा
(दिनांक– 22/12/2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती सविता सिंह, व्याख्याता एल.बी हिन्दी, शा.उ.मा.विद्यालय सरगंवा, वि.खं. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.उ.मा.वि. फतेहपुर, वि.खं अम्बिकापुर, जिला अम्बिकापुर में किया गया है। श्रीमती सिंह ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 7180/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को **10 दिवस के भीतर** समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **03 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्रीमती सिंह द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 25.10.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदिका के पति की मृत्यु वर्ष 2015 में हुई है जिसके कारण घर पर प्रार्थिनी स्वयं अपने सास–ससुर तथा 02 अवयस्क बच्चो के साथ अम्बिकापुर मुख्यालय के शिवधारी कालोनी में निवास करती है। आवेदिका के ससुर की उम्र 80 वर्ष से उपर है एवं सास की उम्र 75 वर्ष है। उम्र के उस पड़ाव में उनकी देख–रेख की जिम्मेदारी आवेदिका पर है। साथ ही वृद्ध पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उन्हे समय बे समय उपचार की आवश्यकता पड़ती रहती है। आवेदिका की पदस्थापना निवास स्थान गृह से 04 कि.मी. की दूरी पर होने से वृद्ध सास–ससुर को चिकित्सालय ले जाने एवं लाने में सुविधा होती है। आवेदिका के निवास स्थान से लगभग 30 किमी. की दूरी पर पदस्थापना होने के कारण एवं आवागमन की सुविधा नहीं होने से पारिवारिक दायित्वों के साथ–साथ पदीय दायित्वों के निर्वहन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदिका थाइराईड रोग से पीड़ित है। जिसका उपचार समय–समय पर कराना पड़ता है। चूंकि स्थानांतरण आदेश में आवेदिका की पदस्थापना शा.उ.मा. विद्यालय फतेहपुर अंकित है जबकि फतेहपुर में आर.एम.एस.ए विभाग का हाईस्कूल है अर्थात् विद्यालय का स्तर त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण यथावत् करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्रीमती सिंह का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। आवेदिका द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित कारणों को आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं सदस्य	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक--श्री सैयद अनीक हुसैन रिजवी
व्याख्याता (गणित)
शासकीय हाई स्कूल लाभांडी धरसींवा
विकासखण्ड– धरसींवा
जिला–रायपुर (छ॰ग॰)।

-----00-----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री सैयद अनीक हुसैन रिजवी शासकीय हाई स्कूल लाभांडी धरसींवा विकासखण्ड–धरसींवा जिला–रायपुर (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलदार सिवनी विकासखण्ड–तिल्दा जिला रायपुर (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7285/2022 दायर की गई है उक्त याचिका में दिनांक 11.11.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री सैयद अनीक हुसैन रिजवी द्वारा दिनांक 30.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदक को हृदय से संबंधित रोग है एवं उनका उपचार वालाजी हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है, उनके हार्ट का एंजियोग्राफी कर एंजियोप्लास्टि भी किया गया है जिसके कारण उन्हे अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर के परामर्श अनुसार आपातकालीन परिस्थिति होने के आशंका है जिस कारण अपने परिवार के सदस्य को साथ रखने की हिदायत दी गई है। नवीन पदस्थापना स्थान वर्तमान स्थान से 60 कि.मी. दूर है जहां पर उनके सहयोग के लिए परिवार के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे जिससे उन्हे अपने कर्तव्य निर्वहन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वे वर्तमान स्थान से आना–जाना करेंगे तो स्वास्थ्यगत परेशानी हो सकती है। अभ्यावेदक द्वारा लेख किया गया है कि स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। उक्त स्थानांतरण के पूर्व विभागीय वेबसाइट में अभ्यावेदक के स्कूल में गणित विषय का पद रिक्त दर्शाया गया था जिस पर उनके द्वारा विभाग को अवगत कराया गया था। परन्तु अभ्यावेदक के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का स्थानांतरण किया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त कर यथावत् पदस्थ करने का अनुरोध किया है।

Scanned with OKEN Scanner

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। श्री रिजवी का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है एवं उनके अभ्यावेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करनेस्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है, तथापि अभ्यावेदक के स्वयं के हृदय रोग से पिड़ित होने एवं आपातकालीन परिस्थिति होने के आशंका के आधार पर प्रशासकीय विभाग अभ्यावेदक के स्थानांतरण निरस्त करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा सदस्य
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्री हरकेश जायसवाल,
प्राचार्य,
शासकीय बहु॰ उच्च॰ माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री हरकेश जायसवाल, प्राचार्य, शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुमका विकासखण्ड–राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6698/2022 दायर की गई है उक्त याचिका में दिनांक 21.10.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिया गया है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री हरकेश जायसवाल द्वारा दिनांक निरंक को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उक्त स्थानांतरण के पूर्व दिनांक 17.11.2021 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यावेदक का स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर विकासखण्ड–बिल्हा जिला बिलासपुर किया गया था, चूंकि उक्त स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अभ्यावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6559/2021 दायर की गई है जो आदिनांक तक माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, माननीय न्यायालय के निर्णय के पूर्व प्रकरण लंबित होने की स्थिति के उपरांत भी और पूर्व स्थानांतरण आदेश के 9 माह के भीतर अभ्यावेदक का पुनः स्थानांतरण किया जाना माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। श्री हरकेश जायसवाल का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के संबंध में एक अन्य याचिका दायर किया गया है जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जिसके आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि अभ्यावेदक के स्थानांतरण के संबंध में एक अन्य याचिका माननीय न्यायालय में लंबित है। अतः अभ्यावेदक के स्थानांरण निरस्त किये जाने के संबंध में प्रशासकीय विभाग निर्णय लेने में सक्षम है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

DNS अनशंसा/School Education (court)

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती नीता भट्ट,
प्राचार्य,
शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
दुर्ग, जिला–सूरजपुर (छ॰ग॰)।

———00———

समिति की अनुशंसा

(दिनांक)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती नीता भट्ट, प्राचार्य, शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुर्ग जिला दुर्ग (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6827/2022 दायर की गई है उक्त याचिका में दिनांक 01.11.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती नीता भट्ट द्वारा दिनांक 07.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदिका का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.04.2023 को सेवानिवृत्त हो रही हैं। उक्तानुसार उनकी सेवानिवृत्ति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के दिनांक में लगभग 6 माह शेष है। सेवानिवृत्ति के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के आदेश दिनांक 31.10.2022 अनुसार अभ्यावेदिका का नाम भी उक्त सूची में शामिल है। अभ्यावेदिका को हृदय संबंधी रोग है जिसका ईलाज इस्पात संयत्र के सेक्टर 9 अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही उनको रक्तचाप एवं मधुमेह भी जिसका उपचार चल रहा है। अभ्यावेदिका के पति को ग्लूकोमा है जिनका इलाज सूरज आई इंस्टीट्युट ओम दृष्टि ट्रस्ट नागपुर महाराष्ट्र में चल रहा है। उक्त रोग के कारण उनकी दृष्टि बहुत कमजोर है जो समय के साथ–साथ और कमजोर होती जा रही है, ऐसे हालात में उनकी देख–भाल बहुत जरूरी है, जो उक्त स्थानांतरण होने से संभव नहीं है। अभ्यावेदिका के परिवार में उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो उनकी देख–भाल कर सके। उक्त स्थानांतरण के फलस्वरूप राजनांदगांव जिला से सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्रकरण के स्वत्वों के भुगतान के संबंध में कार्यवाही किया राजनांदगांव से किया जाएगा जहां उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं है, जिससे पेंशन प्रकरण में कठिनाई एवं विलंब होगा। अतः उपरोक्त आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त कर यथावत् पदस्थ करने का अनुरोध किया है।

Scanned with OKEN Scanner

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। अभ्यावेदक का स्थानांतरण प्रशानिक आधार पर किया गया है। उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है, **तथापि अभ्यावेदिका के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने में 6 माह से भी कम समय शेष होने एवं उनके स्वयं तथा पति के स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है।**

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– **श्रीमती प्रिया खोब्रागड़े**
पद का नाम.....उच्च वर्ग शिक्षक
पदस्थापना स्थान–..शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मरोदा टैंक भिलाई,
जिला..– दुर्ग (छ॰ग॰)।

———00———

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **श्रीमती प्रिया खोब्रागड़े, उच्च वर्ग शिक्षक** का प्रशासनिक आधार पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुर्सीडीह, विकासखंड एवं जिला दुर्ग किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6919/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 6 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 10.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनकी आयु 60 वर्ष होने के से स्वयं एवं उनके पति की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **श्रीमती चन्द्रवती वैश्य**, प्राचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका के अभ्यावेदन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– श्रीमती राजेश्वरी साय
व्याख्याता
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहेरी
विकासखण्ड– धमधा
जिला– दुर्ग (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती राजेश्वरी साय, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहेरी, विकासखण्ड–धमधा, जिला–दुर्ग (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर सु.च.वो.शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतोरा, विकासखण्ड–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6802/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 10.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मेरा 1 वर्ष 4 माह का बच्चा है जिसे 1. Respiratory Distress and asphyxia 2. Sever Bronchitis की वजह से तबियत अक्सर खराब रहती है, बीच–बीच में आपातकाल में अस्पताल इलाज हेतु ले जाना पड़ता है। सास–ससुर जिनकी उम्र लगभग 75–80 वर्ष की है जो बीमार रहते हैं जिसके कारण उन्हें चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है। स्वयं अभ्यावेदक द्वारा स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज होने का लेख करते हुए स्थानांतरित शाला की दूरी घर से 70–75 कि.मी. होने से आने जाने में दिक्कत है, अतः उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। आवेदिका के 1 वर्ष 4 माह का बच्चा है जिसे 1. Respiratory Distress and asphyxia 2. Sever Bronchitis की वजह से तबियत अक्सर खराब रहती है, बीच–बीच में आपातकाल में अस्पताल इलाज हेतु ले जाना पड़ता है।

Scanned with OKEN Scanner

जिसके आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि अभ्यावेदिका के छोटे बच्चे के रोग के आधार पर प्रशासकीय विभाग सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमती सुशीला नायक**
पद का नाम – व्याख्याता (हिन्दी)
पदस्थापना स्थान – शा.हा.स्कूल केवरामुण्डा, वि.ख.–जगदलपुर
जिला – बस्तर

———00———

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री श्रीमती सुशीला नायक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.हा.से. स्कूल रोतमा वि.ख. स्तर जिला बस्तर में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7838/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 में अभ्यावेदक को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 21.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदिका के पति एस.डी.ओ. फॉरेस्ट, ऑफिस जगदलपुर में पदस्थ है वह हॉर्ड पेंशन्ट है जिनका इलाज हार्ट स्पेशलिस्ट जगदलपुर एवं रायुपर के डॉक्टर से चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार अभ्यावेदिका के पति को सीवियर हार्ट अटैक की संभावना है उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी आवेदिका पर ही है। अभ्यावेदिका ने दिनांक 08.11.1989 से 25.11.1996 तक बस्तर जिला में कार्य किया है। एवं परिपत्र दिनांक 03/06/2015 के अनुसार उनका स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा 33 वर्षो से बस्तर जिला में कार्य किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा स्थानांतरण निरस्त न होने की स्थिति में तीन शाला में स्थानांतरण करने की प्राथमिका दी है जिसमें हाई स्कूल पनारापारा जगदलपुर, वि.ख. जगदलपुर जिला बस्तर, हायर सेकेण्डरी शाला नियानार वि.ख. जगदलपुर जिला बस्तर एवं हाई स्कूल कुरकनर, वि.ख. बस्तर जिला बस्तर शामिल है। उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किया गया है। श्रीमती सुशीला नायक द्वारा पति के स्वास्थ्यगत कारणों के कारण स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिए गए आधार पर स्थानांतरण निरस्त किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 में नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डॉ.डी.सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदिका–श्रीमती अनीता तिर्की
व्याख्याता (एल.बी) इतिहास
शा.उ.मा.वि. सोनगरा, वि.खं. प्रतापपुर
जिला–सुरजपूर

समिति की अनुशंसा
(दिनांक– 22/12/2022

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती अनीता तिर्की, व्याख्याता, (एल.बी) इतिहास, शा.उ.मा.वि. सोनगरा, वि.खं. प्रतापपुर जिला–सुरजपूर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.उ.मा.वि. जरही, वि.खं प्रतापपुर, जिला सुरजपूर में किया गया है। श्रीमती तिर्की ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 7305/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 02 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **03 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्रीमती तिर्की द्वारा अभ्यावेदन दिनांक निरंक वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदिका हृदय रोग से पीड़ित है जिसका आपरेशन 19.12.2017 में हुआ है अभी भी ईलाज जारी है। दवाई खाने के बाद आवेदिका को लंबी सफर करने मे परेशानी होती है। आवेदिका को स्कूल में अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था आवेदिका द्वारा सोनगरा में कर ली गई है। हृदय रोग के अतिरिक्त आवेदिका को लो–बी.पी एवं थायराईड से भी ग्रसित है। आवेदिका के पति पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है उनके दो छोटे बच्चे है जिसकी शिक्षा एवं परवरिश की जिम्मेदारी आवेदिका के उपर है। उपरोक्त कारणो के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। श्रीमती तिर्की का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उनके अभ्यावेदन पर उल्लेखित कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में प्रावधान नही है। तथापि अभ्यावेदिका के स्वयं के गंभीर स्वास्थ्यगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानांतरण निरस्त करने हेतु विभागीय स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदिका – श्रीमती मीना पुरोहित
प्राचार्य
शास.उ. मा.वि. खलिबा, वि.खं. अंबिकापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा, श्रीमती मीना पुरोहित, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. खलिबा, वि.खं. अम्बिकापुर जिला सरगुजा का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर शास. उ.मा.वि. नवानगर वि.खं. अम्बिकापुर जिला सरगुजा में किये जाने के कारण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती पुरोहित द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6908/2022 दायर की गई थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 में मान. न्यायालय द्वारा श्रीमती पुरोहित को 02 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गए है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती पुरोहित ने अभ्यावेदन दिनांक 19.11.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। श्रीमती पुरोहित द्वारा अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यावेदिका की वर्तमान पदस्थापना शास. उ. मा. वि. खलिबा वि.खं. अम्बिकापुर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित तथा उक्त शाला में अन्य किसी प्राचार्य की पदस्थापना नहीं की गयी है जबकि स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 2.9 अनुसार ''स्थानान्तरण से रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए'' एवं कंडिका 3.4 अनुसार ''अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानान्तरण एवजीदार की पदस्थापना किए बिना नहीं किया जावेगा'' किन्तु एवजीदार के आए बिना ही उन्हें दिनांक 31.10.2022 को एकतरफा भारमुक्त कर दिया गया है। 07 माह पूर्व श्री हेमंत उपाध्याय, संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई आयोग के समक्ष लंबित है। दुर्भावनापूर्वक उनका स्थानान्तरण किया गया है। उनकी आयु 58 वर्ष है तथा स्त्रीजन्य बीमारियों के साथ ही घुटने में भी समस्या है जिसका ईलाज भारतीय सेना के अस्पताल में चल रहा है। उनके पति प्राचार्य पद पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में पदस्थ है ।छ.ग. शासन की सामान्य नीति पति एवं पत्नी दोनो के शासकीय सेवक होने की स्थिति में पदस्थापना एक ही स्थान पर की जाये का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी का परीक्षण किया गया है। अभ्यावेदिका का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है तथा दिनांक 30.10.2022 द्वारा शास. उ. मा. वि. खलिबा वि.खं. अम्बिकापुर से भारमुक्त किया गया है। उनके द्वारा स्थानान्तरण नीति की कंडिका 2.9 एवं 3.4 के उल्लंघन होने, यथा संभव पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने, घुटने एवं स्त्रीजन्य बीमारियों से पीड़ित होने के कारण भारतीय सेना के अस्पताल में उपचार होने एवं संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग अंबिकापुर के विरूद्ध महिला आयोग में शिकायत करने के कारण दुर्भावनापूर्ण स्थानान्तरण किये जाने को आधार दिया गया है। इस संबंध में स्थानान्तरण नीति वर्ष, 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। उक्त स्थानान्तरण से स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 की किसी कंडिका का उल्लंघन नहीं होता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग एवं वन विभाग
तथा अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा सदस्य
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी. सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– **श्री निर्मल कुमार भारती**
पद का नाम – व्याख्याता (वाणिज्य)
पदस्थापना स्थान – शास.उ.मा.वि. टिकारी विकासखण्ड–मस्तुरी
जिला – बिलासपुर

-----00-----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री निर्मल कुमार भारती, व्याख्याता वाणिज्य का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शासकीय उ.मा.वि. कोतरी, वि.ख. लोरमी, जिला मुंगेली में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7376/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 में अभ्यावेदक को 02 सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 18.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदक द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया था, स्थानांतरण का कारण निवास स्थान से दूरी एवं पति पत्नि दोनो का सेवारत होना बताया गया था किन्तु उनका स्थानांतरण प्राथमिकता वाले शाला में न करते हुये प्रशासकीय आधार पर गलत ढंग से किया गया है। उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर स्थानांतरण आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। श्री निर्मल कुमार भारती का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उनके द्वारा चाही गई शाला पर ही स्थानांतरण करने का अनुरोध किया गया है। स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 मे वांछित स्थान पर ही स्थानांतरण करने के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– **श्रीमती डॉली पाल**
पद का नाम.....व्याख्याता एल.बी.
पदस्थापना स्थान–..शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पाऊवारा, वि.खं.–दुर्ग,
जिला..– दुर्ग (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 24/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **श्रीमती डॉली पाल, व्याख्याता** का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला करहीभदर, जिला बालोद किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7138/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 6 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 15.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **श्रीमती डॉली पाल,** व्याख्याता से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका के अभ्यावेदन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– **धनसाय मिरी**
पद का नाम.....व्याख्याता गणित
पदस्थापना स्थान–..शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुदुरमाल,
जिला..– कोरबा (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **धनसाय मिरी, व्याख्याता** का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवापारा टेण्डा, वि.खं. घरघोड़ा, जिला रायगढ़ किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6931/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 15.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनके वृद्ध माता–पिता एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **धनसाय मिरी,** व्याख्याता से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक के अभ्यावेदन में वृद्ध माता–पिता एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी॰)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी॰डी॰सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– **हेमलता ठाकुर**
पद का नाम.....शिक्षिका ई संवर्ग
पदस्थापना स्थान–..शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आमासिवनी ब्लाक–धरसींवा,
जिला..– रायपुर (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **हेमलता ठाकुर, शिक्षिका ई संवर्ग** का प्रशासनिक आधार पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहंदी ब्लाक धरसींवा, जिला रायपुर किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7065/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 16.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनकी सेवानिवृत्ति हेतु मात्र 15 माह का समय शेष रहने एवं पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **हेमलता ठाकुर,** शिक्षिका ई संवर्ग से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका के अभ्यावेदन में सेवानिवृत्ति हेतु 15 माह शेष होने तथा पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी॰)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी॰डी॰सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– **श्रीमती सरला तोमर**
व्याख्याता, (गणित)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चिखली
विकासखण्ड– दुर्ग
जिला– दुर्ग (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती सरला तोमर, व्याख्याता (गणित), शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चिखली वि.ख.–दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुढ़ीपार, वि.ख.–राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6953/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 09.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मैं सर्वाइकल स्पानलाइटिस तथा घुटने के दर्द से पीड़ित हूं। जहां स्थानांतरण किया गया है वहां स्वास्थ्यगत सुविधा उपलब्ध नहीं है और जिन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन दिया था उन्हें यहां स्थानांतरण का लाभ देने इस हेतु मेरा स्थानांतरण अन्यत्र किया गया है। इस आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण ऐच्छिक किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा सर्वाइकल स्पानलाइटिस तथा घुटने के दर्द से पीड़ित होने और जहां स्थानांतरण किया गया है वहां स्वास्थ्यगत सुविधा उपलब्ध नहीं है और जिन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन दिया था उन्हें यहां स्थानांतरण का लाभ देने हेतु मेरा स्थानांतरण अन्यत्र के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की किसी किसी कंडिका का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्री राकेश कुमार पिल्ले
व्याख्याता (इतिहास)
शा.कन्या.उ.मा.विद्यालय तातापानी
वि.ख. बलरामुपर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज

समिति की अनुशंसा
(दिनांक– 22/12/2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री राकेश कुमार पिल्ले, व्याख्याता (इतिहास), शा.कन्या.उ.मा. विद्यालय तातापानी, वि.ख. बलरामपुर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज का स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर शा.उ.मा. वि.केरता, वि.खं. व जिला बलरामपुर में किया गया है। श्री पिल्ले ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 7199/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 12 दिवस के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **06 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्री पिल्ले द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का स्थानांतरण करने के संबंध में शासन अथवा विभाग के समक्ष कोई भी अभ्यावेदन या निवेदन नहीं दिये जाने के बाद भी आवेदक का ऐच्छिक आधार पर स्थानांतरण कर दिया गया है। आवेदक विद्यालय का एकमात्र इतिहास व्याख्याता है उनके अलावा कोई भी अन्य व्याख्याता विद्यालय में पदस्थ नही है। जिससे स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.2 का उल्लंघन होना बताया गया है। जिला बलरामपुर रामानुजगंज अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण आवेदक का स्थानांतरण बिना किसी एवजीदार के पदस्थापना कर दिया गया है जो कि कंडिका 3.4 के विरूद्ध है। उपरोक्त कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। श्री पिल्ले का स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर किया गया है। आवेदक द्वारा यह आधार दिया गया है कि वे उक्त विद्यालय में इतिहास विषय का एक मात्र व्याख्याता है, किन्तु उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त स्थानांतरण से स्थानांतरण वर्ष, 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner

के समक्ष वरिष्ठ सचिवों की समिति

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – श्री धनेन्द्र सिंह राजपूत
पद का नाम – व्याख्याता (जीव विज्ञान)
पदस्थापना स्थान – शा. उ.मा. वि. पी.डब्ल्यू.डी. रामपुर कोरबा वि.खं.– कोरबा
जिला – कोरबा (छ.ग.)

———00———

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 11.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री धनेन्द्र सिंह राजपूत, व्याख्याता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा. उ.मा. वि. पी.डब्ल्यू.डी. रामपुर कोरबा वि. खं –कोरबा से शा.बा.उ.मा.वि. प्रेमनगर जिला सूरजपुर (छ.ग.) में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7122/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 में अभ्यावेदक को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 26.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदक द्वारा वर्तमान पदस्थ शाला शा.उ.मा.वि. पीडब्ल्यूडी रामपुर कोरबा, जिला कोरबा के वर्तमान सत्र 2022–23 में दर्ज संख्या 734 है, जिसमें विज्ञान पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कुल संख्या 443 है। उक्त शाला में जीव विज्ञान के दो पदों मे से एकमात्र व्याख्याता पदस्थ होने का लेख किया है। उनके द्वारा अनुसूचित क्षेत्र कोरबा जिला में 24 वर्ष से सेवाएं दी जा रही है। उनका स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 03.06.2015 के खण्ड 1.3 के अनुरूप नहीं किया गया है। उनके एक पुत्री एवं एक पुत्र उच्च शिक्षा अंग्रजी माध्यम में कर रहे है, शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानांतरण से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। माताजी 70 वर्ष की है एवं पिताजी का देहावसान हो गया है। अभ्यावेदक का शुगर एवं ब्लड प्रेशर हाई रहता है जिसका इलाज नियमित चल रहा है। अभ्यावेदक द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने एवं निरस्त न करने की स्थिति में संशोधन कर शा.उ.मा.वि. सिंघिया वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा, शा.उम.मा.वि. छुरी वि.ख. कटघोरा जिला कोरबा एवं शा.बा.उ.मा.वि. कटघोरा जिला कोरबा में किसी एक शाला में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक द्वारा उनकी वर्तमान पदस्थापना में उनके स्थान पर किसी अन्य का स्थानांतरण नहीं किये जाने एवं स्वास्थ्यगत कारणों से उनका स्थानांतरण निरस्त करने का आधार दिया गया है। स्थानांतरण नीति, 2022 में स्वास्थ्यगत कारणों एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण निरस्त करने के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि अभ्यावेदक के स्वास्थ्यगत परिस्थितियों के आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त करने हेतु प्रशासकीय विभाग सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकता है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी. सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्री जितेश कुमार ठाकुर
व्याख्याता एल.बी
शा.हा.से. स्कूल, बेमचा
वि.खं. व जिला महासमुंद।

समिति की अनुशंसा
(दिनांक–22-12-2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री जितेश कुमार ठाकुर, व्याख्याता एल.बी, शा.हा. से. स्कूल बेमचा, वि.ख. व जिला महासमुंद का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.हा. से. स्कूल सिरपुर, वि.ख. व जिला महासमुंद में किया गया है। श्री ठाकुर ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 6709/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 02 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **03 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्री ठाकुर द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक के माता–पिता वृद्ध है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। माता–पिता के देखभाल के दृष्टिकोण से शा.उ.मा.वि. बेमचा जो महासमुंद से 05 किमी. की दूरी पर स्थित है। उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्री ठाकुर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। आवेदक द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित कारणों को आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग एवं अध्यक्ष वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव वित्त तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सदस्य वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी. सिंह) सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं सदस्य सचिव वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमती पुष्पांजली मानसर**
पद का नाम – व्याख्याता (एल.बी.)
पदस्थापना स्थान – शा.उ.मा.वि. नरियरा वि.ख. –अकलतरा जिला जांजगीर चांपा
जिला – जांजगीर चांपा (छ.ग.)

———00———

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 12.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती पुष्पांजली मान्सर का स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर शा.उ.मा.वि. नरियरा वि.ख. –अकलतरा जिला जांजगीर चांपा से शास. हाईस्कूल मुरकुटा, वि.खं–बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) मे किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 8433/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 में अभ्यावेदिका को 02 सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष दिनांक 14.12.2022 को अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदिका की सांस पैरालिसिस रोग से ग्रसित है, एवं अभ्यावेदिका का भी उपचार स्पाइनल कॉर्ड के कारण अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में चल रहा है। अभ्यावेदिका द्वारा ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया था। जिसमें प्राथमिकता दिये गये स्थान पर उनका स्थानांतरण न करते हुये स्वैच्छिक आधार पर शास. हाईस्कूल मुरकुटा, वि.खं–बिल्हा जिला बिलासपुर कर दिया गया है। वर्तमान पदस्थ शाला में उनके स्थान पर अन्य किसी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। अभ्यावेदिका के पति धीरेन्द्र कुमार मानसर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश मे प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका द्वारा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिये प्राथमिकता दिये गये शाला में उनका स्थानांतरण न करते हुये स्वैच्छिक स्थानांतरण शास. हाईस्कूल मुरकुटा, वि.खं–बिल्हा जिला बिलासपुर में किये जाने एवं स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर उनके द्वारा दिये गये आवेदन में चिन्हित शाला में नही किया गया है, उक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति, 2022 के अनुरूप नही है। अतः समिति अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – श्री सचिन श्रीवास्तव
पद का नाम – शिक्षक
पदस्थापना स्थान – शा.पू.मा.शा. अभ्यास शाला शंकर नगर, रायपुर
जिला -- रायपुर

------00------

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 12.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री सचिन श्रीवास्तव का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शा.पू.मा.शा. अभ्यास शाला शंकर नगर, रायपुर से शा.पूर्व. माध्य.शाला सोनतरा, वि.ख. तिल्दा जिला रायपुर (छ०ग०) में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में अपील डब्ल्यू.ए. 644/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2022 में अभ्यावेदक को 03 दिवस के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को सात दिवस के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदक का स्थानांतरण विभाग के प्रस्ताव, अभ्यावेदक की सहमति एवं वर्तमान संस्था में दो वर्ष पूर्ण किये बिना, समन्वय प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, स्थानांतरण नीति 2022 के उल्लंघन में किया गया हैं। अभ्यावेदक का पुत्र मधुमेह रोग से पीडित हैं एवं उनकी पुत्री कक्षा 8वी में रायपुर में अध्ययनरत है। अभ्यावेदक के स्थानांतरण के पश्चात वर्तमान संस्था में 387 विद्यार्थी पर सिर्फ एक ही शिक्षक पदस्थ है। अभ्यावेदक जिला सचिव के पद पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ में कार्यरत है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक द्वारा वर्तमान संस्था में दो वर्ष पूर्ण करने के पूर्व स्थानांतरण करने, बेटे के स्वास्थ्य एवं पुत्री के कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत होने के कारण उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है। अभ्यावेदक का स्थानांतरण प्रशासकीय व्यवस्था के आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक के स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति, 2022 का उल्लंघन नहीं होना पाया गया है। अतः समिति उक्त अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती हैं।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती सर्जना त्रिपाठी
व्याख्याता
शा.उ.मा.शा. धनोरा, जिला–दुर्ग।

समिति की अनुशंसा
(दिनांक– 01.12.2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती सर्जना त्रिपाठी, व्याख्याता, शा.उ.मा.शा. धनोरा, जिला–दुर्ग का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा. उ.मा. वि. हल्दी, वि.खं. गुण्डरदेही, जिला बालोद में किया गया है। श्रीमती त्रिपाठी ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 6750/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.10.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 10 दिवस के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **03 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती त्रिपाठी ने स्थानांतरण अभ्यावेदन दिनांक 29.10.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदिका शा.उ.मा. शा. धनोरा में जीवविज्ञान की व्याख्याता है एवं उनके नाम में एल.बी. व्याख्याता दर्शाया गया है जो कि गलत है। आवेदिका की उम्र 58 वर्ष है। उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य खराब रहता है जिसके कारण 65 कि.मी दूर स्थानांतरण स्थान पर आवागमन करने में असमर्थ है एवं उम्र के इस पड़ाव पर घर से अकेले दूर रहना संभव नहीं है। साथ ही पैरो में बहुत तकलीफ रहती है। आवेदिका के पति बी.एस.पी मे कार्यरत है। जिनकी उम्र 59 वर्ष है और कोरोना होने के पश्चात् उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आवेदिका के दोनो बच्चे बाहर रहते है। उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्रीमती त्रिपाठी का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। आवेदिका द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित कारणों को आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती सूर्यकांति पाल
व्याख्याता एल.बी गणित
शा..उ.मा.वि. करंजा, भिलाई, जिला–दुर्ग

समिति की अनुशंसा

(दिनांक– 01.12.2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती सूर्यकांति पाल, व्याख्याता एल.बी गणित, शा..उ.मा.वि. करंजा, भिलाई, जिला–दुर्ग, का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा. उ.मा.वि. रानाखुज्जी, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद में किया गया है। श्रीमती पाल ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 6687/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 10 दिवस के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **04 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्रीमती पाल द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 27.10.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदिका न्यूरो की समस्या से ग्रसित है तथा बच्चेदानी में ट्यूमर है। इस हेतु चिकित्सीय परामर्श के अनुसार लंबी यात्रा की दूरी वर्जित है। आवेदिका का निवास स्थान रूआबांधा सेक्टर/17 ए भिलाई में है उनकी माता जी श्रीमती सुमित्रा देवी जिनकी उम्र 78 वर्ष है, जो कि काफी वृद्ध हो चुकी है तथा न्यूरो की बीमारी, जिसमें अचानक चक्कर आकर गिर जाना एवं दोनों घुटने घीस चुके है जिसके कारण चलने में असमर्थ है। उन्हे नियमित रूप से गहन चिकित्सीय परामर्श हेतु सेक्टर 09. बी.एस.पी हास्पिटल ले जाना पड़ता है। जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आवेदिका के उपर है। आवेदिका का पुत्र आदित्यराज पाल जो कि कक्षा 12 वी का छात्र है उसे आवेदिका की जरूरत है आवेदिका के पति श्री राजेश पाल भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई मे कार्यरत है। जिनका ज्यादा समय अपने विभागीय कार्य में रहता है। पति–पत्नी प्रकरण के तहत आवेदिका के पति का कार्यस्थल भिलाई इस्पात संयंत्र है। उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्रीमती पाल का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। आवेदिका द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित कारणों को आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव गृह विभाग एवं वन विभाग एवं अध्यक्ष वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव वित्त तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सदस्य वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी. सिंह) सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं सदस्य सचिव वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक – श्री दिनेश लाल
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
पाली जिला कोरबा (छ.ग.)

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 04.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री दिनेश लाल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाली जिला कोरबा का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. छुरी, वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा में किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री दिनेश लाल द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6883/2022 दायर की गई थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 में मान. न्यायालय द्वारा श्री लाल को 12 दिवस के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को 03 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिये गए है।

2/ श्री लाल द्वारा अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यावेदक को शा.उ.मा.वि. छुरी में प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है। उक्त विद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त नहीं है, पूर्व से ही प्राचार्य पदस्थ हैं। स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 ककी कंडिका 03 विशेष उपबंध की विशेष टीप में लेख अनुसार स्थानान्तरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर उक्त स्थानान्तरण स्वयमेव निरस्त माना जायेगा। उपरोक्त कारण से अभ्यावेदक द्वारा स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी का परीक्षण किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर पूर्व से प्राचार्य के पद पर पदस्थ होने के कारण स्थान रिक्त नहीं होने के कारण स्थानान्तरण नीति की कंडिका 3 की विशेष टीप को स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का आधार दिया गया है। इस स्थानान्तरण से स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3 के विशेष टीप का उल्लंघन हुआ है। अतएव समिति अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव,	सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त, नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
तथा अध्यक्ष	विकास विभाग तथा सदस्य	तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्री विनय कुमार तिवारी,
व्याख्याता (एल.बी.) रसायन विज्ञान
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहतराई
विकासखण्ड– बिल्हा
जिला–बिलासपुर (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 04.01.2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री विनय कुमार तिवारी, व्याख्याता (एल.बी.) रसायन विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहतराई विकासखण्ड–बिल्हा जिला–बिलासपुर (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकारी विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6834/2022 दायर की गई है उक्त याचिका में दिनांक 01.11.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री विनय कुमार तिवारी द्वारा दिनांक 07.10.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदक दिव्यांग कर्मचारी है एवं उनकी पत्नी न्यायिक सेवा के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय दल्लीराजहरा जिला बालोद छ.ग. में कार्यरत है। अतः अभ्यावेदक द्वारा पारिवारिक सुविधा के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण हेतु विद्यालयों के विकल्प में शा.उ.मा.वि. राखी/लालपुर/अमलीडीह अंकित किया गया था परन्तु उक्त विकल्पों के अन्यत्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहतराई विकासखण्ड–बिल्हा जिला–बिलासपुर (छ॰ग॰) प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक 50 प्रतिशत अस्थिबाधित दिव्यांग है। उक्त स्थानांतरण स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के कंडिका 2.8 का उल्लंधन है। साथ उक्त स्थानांतरण में अभ्यावेदक के स्थान पर श्रीमती सुनंदा डोंटे का किया गया है जिनका स्थानांतरण भी स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है। अतः उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने अथवा स्थानांतरण में संशोधन कर स्वैच्छिक आधार पर जिला रायपुर में दिए गए विकल्पों में से किसी स्थान पर स्थानांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। अभ्यावेदक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा स्थानांतरण निरस्त अथवा संशोधन करने अभ्यावेदन में जिस आधार पर अनुरोध किया गया है, उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 कोई प्रावधान नहीं है एवं उल्लेखित कंडिकाओं का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

DNS अनशंसा/School Education (court)

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमति रजनीगंधा बेहार**
पद का नाम – व्याख्याता (अंग्रेजी)
पदस्थापना स्थान – शा. उ. मा. वि. तिफरा, बिलासपुर
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

-----00-----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 03/02/2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमति रजनीगंधा बेहार, व्याख्याता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा. उ. मा. वि. तिफरा बिलासपुर से शा. उ. मा. लखराम (छ0ग0) में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7912/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2022 में अभ्यावेदिका को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष 12 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 02.12.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदिका के पति श्री जितेन्द्र बेहार, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के उ.पू.क्षेत्र में उपनिदेशक (जोनल प्रशासन) के पद पर गुवाहाटी असम में लगभग 2200 कि.मी. दूर कार्यरत है। उनकी 12 वर्षीय पुत्री सातवीं कक्षा में डी.पी.एस बिलासपुर में अध्ययनरत है जिनकी अभ्यावेदिका यहां एकल अभिभावक है। स्थानांतरण से उनकी पुत्री के शिक्षा में बाधा होगी। अंग्रेजी विषय के रिक्त पद पर होते हुये भी उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने तथा निरस्त न होने की स्थिति में शा. उ. मा. वि. परसदा वि.ख. बिल्हा या ग्रामीण मेंड्रा/चकरभाटा स्कूल पर संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका द्वारा उनके पति श्री ज़ितेन्द्र बेहार के गुवाहाटी असम में कार्यरत होने, बेटी के शिक्षण में बाधा के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है। स्थानांतरण नीति, 2022 में पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति, 2022 का उल्लंघन नहीं होना पाया जाता है, तथापि अभ्यावेदिका के स्थानांतरण निरस्त करने हेतु प्रशासकीय विभाग सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकता है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	**(अलरमेलमंगई डी.)**	**(डी.डी.सिंह)**
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – श्री सूर्यकान्त सिन्हा
पद का नाम – शिक्षक, (एल.बी.)
पदस्थापना स्थान – माध्यमिक शाला कंवलनार
जिला – दंतेवाड़ा

-----00-----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 03/01/2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री ,शिक्षक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर माध्यमिक शाला कंवलनार, विकासखण्ड दतेवाड़ा, जिला दंतेवाडा से माध्यमिक शाला राराम, विकासखण्ड – सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.) में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7333/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 में अभ्यावेदक को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 02.12.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदक की नियुक्ति शिक्षक के पद पर 2013 में सामाजिक विज्ञान विषय पर माध्यमिक शाला, विकासखण्ड–दंतेवाड़ा में हुई थी, उनका संविलियन 31.10.2020 में किया गया, वर्तमान संस्था में वे सामाजिक विज्ञान व गणित का अध्यापन करवाते है। अभ्यावेदक के स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.2 "ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेगें जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये" एवं कंडिका 3.4 "अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नहीं किया जावेगा" का पालन नहीं किया गया है। उनके स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति दिनांक 03.06.2015 की कंडिका 1.3 एवं 2.1 का पालन नही होने का लेख किया गया है। उनकी वर्तमान पदस्थ शाला में (प्रधानाध्यापक 1+4 शिक्षक) का सेटअप स्वीकृत है जिसमें वर्तमान में 1+3 ही शिक्षक कार्यरत है। वर्ष 2020 से 01 शिक्षक खण्ड स्त्रोत समन्वयक के पद पर विकासखण्ड कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा में सेवाएं दे रहे है जिसके कारण शिक्षक की निरंतर कमी बनी हुई है। अभ्यावेदक की पत्नी भी स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधानपाठक के पद पर प्राथमिक शाला तरईटिकरापारा बालूद, जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ है। परिवार में उनके दो बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष एवं 17 माह है। पति–पत्नी के एक ही स्टेशन पर कार्य करने एवं परिवार की देखरेख में दोनों पति पत्नी की आवश्यकता है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.2 " ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेगें जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये" के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध है। अभ्यावेदक द्वारा प्रधानपाठक माध्यमिक शाला केवलनार विकासखण्ड – दन्तेवाड़ा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा शिक्षक श्री सूर्यकान्त सिन्हा, शिक्षक का स्थानांतरण अन्यत्र जिले में हो जाने से कक्षा छठवी से आठवीं में गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापन कार्य प्रभावित होने का लेख किया गया है, क्योंकि उनके पद के विरूद्ध अन्य शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गई है। उनके स्थानांतरण से शाला में उनके विषय का पद रिक्त हो रहा है, जो स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.2 के अनुरूप नहीं है। अतः समिति उक्त अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– श्रीमती चन्द्रवती वैश्य
पद का नाम.......प्राचार्य
पदस्थापना स्थान–..शासकीय बालक उच्च माध्यमिक वि. सरकण्डा,
जिला..– बिलासपुर (छ.ग.)।

-----00-----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **श्रीमती चन्द्रवती वैश्य, प्राचार्य,** का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्च स्कूल वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6795/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 08.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनका सेवानिवृत्ति हेतु मात्र डेढ़ वर्ष का समय शेष रहने एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **श्रीमती चन्द्रवती वैश्य,** प्राचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक के अभ्यावेदन में सेवानिवृत्ति हेतु डेढ़ वर्ष शेष होने तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती रूकमणी सेन
प्रधान पाठक
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सूरजपूरा (हरदी)
विकासखण्ड– स. लोहारा
जिला– कबीरधाम (छ.ग.)।

-----00-----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती रूकमणी सेन, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व.माध्यमिक शाला सूरजपूरा (हरदी) विकासखण्ड–स.लोहारा, जिला– कबीरधाम (छ.ग.) का प्रशासनिक आधार पर शासकीय पूर्व मा शाला कुरा, विकासखण्ड–नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6962/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 10.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मेरी पदस्थापना प्रधान पाठक के पद पर 02.02.2022 को उक्त शाला में हुई थी। अतः स्थानांतरण नीति 2022 के सुझाव के अनुसार 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व में कार्यरत हो, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किये जाएगें। इसलिए उक्त स्थानांतरण नियम विरूद्ध था इस हेतु उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की किसी कंडिका 1.5 के उल्लंघन होने के आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त करने अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 1.5 केवल जिला स्तर पर किये गए स्थानांतरण के प्रकरणों पर लागू होगा। जबकि अभ्यावेदक का स्थानांतरण राज्य स्तर पर किया गया है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदिका–श्री हरिप्रसाद यादव
शिक्षक (एल.बी.)
शा.पूर्व मा.शाला मसिरा, वि.खं. भैयाथान
जिला–सूरजपुर

समिति की अनुशंसा
(दिनांक– 22 · 12 · 2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री हरिप्रसाद यादव, शिक्षक (एल.बी.), शा.पूर्व मा.शाला मसिरा, वि.खं. भैयाथान, जिला–सूरजपुर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शास. पूर्व माध्य. शाला कोटबर्रा वि.खं. लखनपुर जिला–सरगुजा में किया गया है। श्री यादव ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 7039/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 03 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **06 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्री यादव द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 19.11.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक का स्थानांतरण शा.पूर्व मा.शाला मसिरा, वि.खं. भैयाथान, जिला–सूरजपुर से शास. पूर्व माध्य. शाला कोटबर्रा वि.खं. लखनपुर जिला–सरगुजा किया गया है। जो कि आवेदक ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका–3.2 एवं 3.4 के तहत् नियम विरूद्ध बताया गया। उपरोक्त कारणो के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। श्री यादव का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। आवेदक ने स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.2 (ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये") एवं कंडिका 3.4 (अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नही किया जायेगा") के उल्लंघन होने का आधार दिया है। उक्त स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नही पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमति श्वेता दुबे**
पद का नाम – व्याख्याता (रसायन)
पदस्थापना स्थान – शा. कन्या शिक्षा परिसर अम्बिकापुर
जिला – सरगुजा (छ.ग.)

———00———

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती श्वेता दुबे, व्याख्याता रसायन का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शासकीय शास. उ. मा. वि. उदयपुर, जिला सरगुजा में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7069/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 में अभ्यावेदिका को 12 दिवस के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 21.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनकी नियुक्ति उपरांत 7 सालो से वे अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ है। शासन के परिपत्र दिनांक 03.06.2015 के क्रम्रांक 1.3 में उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी का 2 से 03 वर्ष तक अनूसूचित क्षेत्र में कार्य करने के उपरांत बिना सहमति के दुबारा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ नहीं किया जा सकता। अभ्यावेदिका की पुत्री का जन्म 26/6/2022 को हुआ है, जिससे वे अभ्यावेदन दिनांक तक मातृत्व अवकाश पर है। परिवार के सहयोग के बिना बच्ची को लेकर स्थानांतरित शाला में जाना संभव नहीं है। पति श्री प्रेम प्रकाश दुबे उप अभियंता नगर पंचायत सीतापुर में पदस्थ है। उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका ने पति–पत्नि के एक ही स्थल पर रहने एवं उनकी पुत्री के 06 माह को लेकर नवीन स्थानांतरित शाला में जाना संभव न होने से स्थानातरण निरस्त करने का अनुरोध किया हैं। चूंकि श्रीमति दुबे का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के अधार पर किया गया है, स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 में स्वास्थ्यगत कारणों एवं पारिवारिक कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है, तथापि प्रशासकीय विभाग अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकता है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक – श्री विलियम टोप्पो
व्याख्याता, हिन्दी
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलोटा
विकासखण्ड– प्रतापपुर
जिला– सूरजपुर (छ॰ग॰)।

———00———

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्री विलियम टोप्पो, व्याख्याता, हिन्दी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलोटा जिला–सूरजपुर (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकनी, विकासखण्ड–ओड़गी, जिला–सूरजपुर (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7025/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2022 द्वारा अभ्यावेदक को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 6 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 10.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनके दो बच्चे उसी विद्यालय में कक्षा–12वीं में अध्ययनरत हैं, 2014 में एक दुर्घटना में मेरा पैर टूट गया था। हर माह डॉक्टर का परामर्श व इलाज चलता है। अभ्यावेदक के स्थान पर जिस शिक्षक का स्थानांतरण किया गया है उनके पूर्व पदस्थापना विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद अनुसार दर्ज संख्या 817 है साथ ही उनके स्थानांतरण में एवजीदार की पदस्थापना नहीं की गई है जिससे स्थानांतरण नीति का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा जिस आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्तीकरण हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी॰)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी॰डी॰सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदिका–श्री ओ.पी. वर्मा,
प्रधान पाठक (टी.संवर्ग)
शा.मा.शा. कन्या शिक्षा परिसर दुगली, वि.खं. नगरी
जिला–धमतरी

समिति की अनुशंसा
(दिनांक– 22-12-2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री ओ.पी. वर्मा, प्रधान पाठक (टी.संवर्ग) शा.मा.शाला कन्या शिक्षा परिसर दुगली, वि.खं. नगरी, जिला–धमतरी का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शास. कन्या आश्रम शाला सिरपुर वि.खं.महासमुंद, जिला–महासमुंद में किया गया है। श्री वर्मा ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 7272/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 11.11.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 03 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **06 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्री वर्मा द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21.11.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक का स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र से गैरअनुसूचित क्षेत्र में बिना एवजीदार का किया गया है जो कि छ.ग. शासन की स्थानांतरण नीति 2022 एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध के कंडिका क्रमांक 3.4 का उल्लंघन है तथा आवेदक का वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र वि.खं. नगरी, जिला–धमतरी का कर्मचारी है। आवेदक का स्थानांतरण सामान्य क्षेत्र वि.खं. महासमुंद जिला–महासमुंद गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है। उपरोक्त कारणो के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक ने स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.4 "अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नही किया जायेगा" के उल्लंघन होने का आधार दिया है। विकासखण्ड नगरी सायमान्य अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। श्री वर्मा का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। उक्त स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नही पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– तामेश्वर कुमार धृतलहरे
प्रधान पाठक
शासकीय पूर्व माध्यमिक शासकीय दादरझोरी
विकासखण्ड– अभनपुर
जिला– रायपुर (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा तामेश्वर कुमार धृतलहरे, शासकीय पूर्व माध्यमिक शासकीय दादरझोरी, विकासखण्ड–अभनपुर, जिला–रायपुर (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर शासकीय पू.माध्य. शासकीय झलप, विकासखण्ड/जिला–महासमुंद (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6938/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक निरंक को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदक अपनी माता–पिता की इकलौती संतान व माता की उम्र लगभग 90 वर्ष की है जो बीमार रहती है जिसके कारण उन्हें चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी मुझ पर है। स्वयं अभ्यावेदक द्वारा साइटिका का मरीज होने का लेख करते हुए स्थानांतरित शाला की दूरी 150 कि.मी. होने से आने जाने में दिक्कत है, इस हेतु उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। स्वयं का इकलौती संतान होने, स्थानांतरित शाला का गृह ग्राम से लगभग 150 कि.मी. दूर होना, माताजी स्वास्थ्य ठीक न होने का आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी॰)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी॰डी॰सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– अशोक कुमार शर्मा
पद का नाम.....व्याख्याता जिला मिशन समन्वयक
पदस्थापना स्थान–..जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा–महासमुंद,
जिला..– महासमुंद (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **श्री अशोक कुमार शर्मा, व्याख्याता जिला मिशन समन्वयक** का प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति से वापस शासकीय उच्च. मा. वि. जमहर वि.खं. पिथौरा, जिला महासमुंद किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6738/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 15.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि वे 01 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, जबकि प्रतिनियुक्ति पर 04 वर्ष की अवधि तक रखा जाता है, इसलिये उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **श्री अशोक कुमार शर्मा, व्याख्याता जिला मिशन समन्वयक** से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक के अभ्यावेदन में प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 04 वर्ष होने का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी॰)	(डी॰डी॰सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्री बानी बिलास शर्मा**
पद का नाम – व्याख्याता (गणित)
पदस्थापना स्थान – शा.उ.मा.वि. चैतमा विकासखण्ड– पाली
जिला – कोरबा

———00———

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री बानी बिलास शर्मा का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शास.उ.मा.वि. मोरगा वि.खं– पोडी उपरोड़ा जिला कोरबा (छ॰ग॰) में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7263/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2022 में अभ्यावेदक को 02 सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 21.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि शा.उ.मा.वि. चैतमा में दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में कक्षा 9वीं में 171, 10वीं में 124, 11 वीं गणित में 5 एवं 12वीं गणित में 13 अर्थात गणित पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या 313 पर गणित शिक्षक के दो पद स्वीकृत है, स्थानांतरण नीति की कंडिका कमांक 3.9 कक्षावार विद्यार्थियों संख्या तथा रिक्त पद को आधार मानकर स्थानांतरण नहीं करने का उल्लेख किया है। अभ्यावेदक की पत्नी श्रीमति अर्चना शर्मा व्याख्याता के पद पर विकासखण्ड पाली में कार्यरत है एवं उनकी माता जी का इलाज अपोलो अस्पताल बिलासपुर में चल रहा हैं। उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर अभ्यावेदक द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक श्री बानी बिलास शर्मा ने अभ्यावेदन में वर्तमान पदस्थ शाला में गणित विषय में कुल 313 छात्र पर दो गणित विषय के शिक्षक होने तथा पारिवारिक कारणों का आधार देते हुये स्थानातरण निरस्त करने का अनुरोध किया हैं। चूंकि श्री बानी बिलास शर्मा का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के अधार पर किया गया है। स्थानांतरण नीति में पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण निरस्त करने के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	**(अलरमेलमंगई डी॰)**	**(डी.डी.सिंह)**
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– रीतू पोर्ते
पद का नाम.....व्याख्याता
पदस्थापना स्थान–..शासकीय उच्च. मा. विद्यालय टिकारी, वि.खं.–मस्तुरी,
जिला – बिलासपुर (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा **रीतू पोर्ते**, व्याख्याता का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्च माध्य. विद्यालय–बाकी, जिला मुंगेली किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6872/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 11.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनका एवं उनकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ **रीतू पोर्ते**, व्याख्याता से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका के अभ्यावेदन में स्वयं एवं माताजी के स्वास्थ्य खराब होने का आधार दिया गया है। चूंकि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में उक्त के आधार पर पदस्थापना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी॰) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी॰डी॰सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती अनिता साहू
पद का नाम– व्याख्याता (एल.बी.) वाणिज्य
पदस्थापना स्थान– शास.उच्च.मा.वि.बोरियाकला
विकासखण्ड– धरसींवा
जिला– रायपुर (छ.ग.)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती अनिता साहू, शास.उच्च.मा.वि.बोरियाकला, वि.ख.–धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) का प्रशासनिक आधार पर शास.उ.माध्य.विद्या. अल्दा वि.ख.–तिल्दा जिला–रायपुर (छ.ग.) किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6966/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 6 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 14.10.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मैं एकल अभिभावक हूं। मेरी एक पुत्री है और वह अभी 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत है। कुछ दूरी पर मेरी माताजी (68वर्ष) निवासरत है। उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, इस हेतु उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। स्वयं का एकल अभिभावक होने, स्थानांतरित शाला का गृह ग्राम से लगभग 80 कि.मी. दूर होना, माताजी स्वास्थ्य ठीक न होने व बच्चे की पढ़ाई का आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– श्री रोशन पटेल
सहायक ग्रेड–02
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
विकासखण्ड–
जिला–सक्ती (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्री रोशन पटेल, सहायक ग्रेड–02, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–सक्ती (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर शासकीयहाई.स्कूल कवंली, विकासखण्ड–डबरा शै. जिला–बेमेतरा (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7201/2022 प्रस्तुत किया गया है। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 07.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत किया है कि कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती के आदेश क्र./2915/स्था./ई–संवर्ग/2022 सक्ती दिनांक 09.09.2022 के सरल क्र.29 द्वारा स्थानांतरण शासकीयउच्चतर माध्यमिक शाला टुण्ड्रा, विकासखण्ड डभरा से जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती में प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ है और मात्र 16 दिनों पश्चात् ही छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश क्र. एफ 2–78/2022/20–दो नवा रायपुर अटलनगर 30.09.2022 के 19 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, राक्ती से शासकीय हा.स्कूल कंवली, विकासखण्ड डभरा जिला सक्ती किया गया है, जो स्थानांतरण स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 1.5 का उल्लंघन है। अतः उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ उक्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा लेख किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश के पूर्व जिला स्तर पर स्थानांतरण किया गया था जिसके अनुपालन में 16 दिन पूर्व कार्यभार ग्रहण किया गया है एवं 16 दिन पश्चात पुनः राज्य स्तर पर स्थानांतरण किया गया है जो स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 1.5 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 1.5 केवल जिला स्तर पर किये गए स्थानांतरण के प्रकरणों पर लागू होगा। जबकि अभ्यावेदक का उक्त स्थानांतरण राज्य स्तर पर किया गया है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी॰)	(डी॰डी॰सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती राजेश्वरी सोनवानी,
व्याख्याता (गणित)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिकारी केसली
विकासखण्ड–सिमगा
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 03/01/2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती राजेश्वरी सोनवानी, व्याख्याता (गणित) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिकारी केसली विकासखण्ड–सिमगा जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ॰ग॰) का ऐच्छिक आधार पर स्थानांतरण (छ॰ग॰) किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 8066/2022 दायर की गई है उक्त याचिका में दिनांक 29.11.2022 को आदेश पारित कर समिति को उक्त अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिया गया है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती राजेश्वरी सोनवानी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मेरे द्वारा अपने पारिवारिक कारणों के से ऐच्छिक आधार पर स्थानांतरण करने हेतु आवेदन किया गया था, प्रस्तुत आवेदन में अभ्यावेदिका द्वारा शासकीय हाई स्कूल बाघुल विकासखण्ड–नवागढ़ जिला–बेमेतरा 2) शासकीय हाई स्कूल मानिकपुर विकासखण्ड--नवागढ़ जिला–बेमेतरा 3) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदनारा विकासखण्ड–नवागढ़ जिला–बेमेतरा के लिए आवेदन किया गया था। (आवेदन की छायाप्रति संलग्न) परन्तु उक्त स्थानांतरण आदेश में वांछित विद्यालयों के अन्यत्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ीमल विकासखण्ड व जिला–रायगढ़ (छ॰ग॰) में किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उक्त विद्यालय वांछित स्थान से लगभग 300 कि.मी. दूर है। जिससे अभ्यावेदिका के पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। अभ्यावेदिका के पति कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा में आदिवासी विकास शाखा में सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदस्थ हैं। अभ्यावेदिका द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर पति–पत्नी समायोजन आधार पर एक ही स्थान पर या नजदीकी विद्यालय में पदस्थापना करने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु उनके आवेदन पर प्रतिकुल कार्यवाही करते हुए स्थानांतरण 300 कि.मी. दूरस्थ स्थान पर किया गया है। अभ्यावेदिका के परिवार में उनके ससुर जी का देहांत हो गया है, एवं सास भी वयोवृद्ध है साथ ही उनको कई गंभीर बिमारी भी है। एक छोटी बेटी है जिसके देख–भाल के उद्देश्य आवेदन किया गया था परन्तु वांछित स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त आधार पर उक्त स्थानांतरण संशोधन करने का अनुरोध किया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया है। श्रीमती राजेश्वरी सोनवानी द्वारा ऐच्छिक आधार पर स्थानांतरण हेतु विभाग (जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, (आवेदन की प्रति संलग्न है) परन्तु प्रशासकीय विभाग द्वारा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के शाला में स्थानांतरण न करते हुए स्वैच्छिक आधार पर लगभग 300 किलोमीटर

Scanned with OKEN Scanner

दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोडीमल जिला रायगढ़ करते हुए स्थानांतरण का प्रकार स्वैच्छिक किया गया है। अतः उक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 के अनुरूप नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं वन विभाग तथा **अध्यक्ष** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(अलरमेलमंगई डी.) सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य** वरिष्ठ सचिवों की समिति	(डी.डी.सिंह) सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा **सदस्य सचिव** वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक – श्री बी.एस. बंजारे
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
वि.खं. डभरा जिला सक्ती (छ.ग.)

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 03/01/2023)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री बी.एस.बंजारे, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.खं. डभरा जिला सक्ती का स्थानान्तरण प्राचार्य, शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय कनकबीरा जिला सारंगढ़ किये जाने के कारण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री बंजारे द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7123/2022 दायर की गई थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 में मान. न्यायालय द्वारा श्री बंजारे को 12 दिवस के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं यदि अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, समिति को अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिये गए है। 2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री बंजारे ने अभ्यावेदन दिनांक निरक वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। श्री· बंजारे द्वारा अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन के भर्ती नियम अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य की नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उनके स्थान पर श्री श्यामलाल बारे, व्याख्याता एल.बी. शा.उ.मा.वि. मदनपुर विकासखण्ड खरसिया जिला रायगढ़ को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है जो उक्त पद की योग्यता नही रखते है। स्थानान्तरण नीति, 2022 के अनुसार वे वरिष्ठ प्राचार्य है। उनके स्थान पर कनिष्ठ पद के कर्मचारी को स्थानान्तरित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.03.2019 की अनुसूची दो (नियम–6) अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनने हेतु कम से कम 5 वर्ष के अनुभवी प्राचार्य को बनाया जाना है। वे वर्ष 2016 से प्राचार्य के पद पर पदस्थ है वे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की योग्यता रखते है। वर्ष 2020 से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। उनके विरूद्ध कोई शिकायत नही है। प्राचार्य को हटाकर व्याख्याता एल बी. को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से पदस्थ किया जाना स्थानान्तरण नीति के विपरीत है। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ का अंतर समाप्त हो जायेगा। उपरोक्त कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी का परीक्षण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.03.2019 की अनुसूची दो (नियम–6) अनुसार अनुभवी प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाये जाने एवं स्थानान्तरण नीति वर्ष, 2022 की कंडिका 2.9 का उल्लंघन करते हुए अभ्यावेदक जो प्राचार्य है उन्हें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से स्थानान्तरित कर व्याख्याता को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ करने को आधार दिया है। उक्त आधार पर स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में स्थानान्तरण नीति वर्ष, 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानान्तरण से स्थानान्तरण नीति वर्ष, 2022 की किसी कंडिका उल्लंघन नहीं होता है। अतएव समिति अभ्यावेदन **अमान्य** किए जाने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग एवं वन विभाग
तथा अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा सदस्य
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी. सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– श्री शिव कुमार देवांगन
व्याख्याता, अंग्रेजी
शासकीय उच्चतर माध्यमिक वि.भीमकन्हार
विकासखण्ड– डौण्डी लोहारा
जिला–बालोद (छ॰ग॰)।

-----00-----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्री शिव कुमार देवांगन, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमकन्हार, वि.ख–डौण्डीलोहारा जिला–बालोद (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण हुआ है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस॰ 7205/2022 दायर किया गया है। प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 द्वारा अभ्यावेदक को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 22.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध आज पर्यंत किसी प्रकार कोई शिकायत या विभागीय जांच या कार्यवाही नहीं हुई है और न ही लंबित है। मेरा आचरण छात्रों एवं सहकर्मियों के प्रति हमेशा से भावनात्मक एवं परीक्षा परिणाम सबसे श्रेष्ठ रहा है तथा मेरी उम्र लगभग 59 वर्ष हो गया है मेरी बेटी का जनवरी में विवाह है एवं मैं छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस जिला शाखा राजनांदगांव का जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं जिसे नियमानुसार एक कार्यकाल में स्थानांतरण से शासन से छुट प्रदान किया जाता है का लेख करते हुए उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदक श्री शिव कुमार देवांगन से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा स्थानांतरण निरस्त कराने हेतु जिस आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उसका स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में प्रावधान नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी॰)	(डी॰डी॰सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमती राधिका साहू**
पद का नाम – व्याख्याता (जीवविज्ञान)
पदस्थापना स्थान – शा. हाई स्कूल आलीवारा, वि.ख.–डोंगरगढ़,
जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

-----00-----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती राधिका साहू, व्याख्याता एल.बी., जीवविज्ञान का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्च माध्य. शाला कोठीटोला, वि.ख. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7310/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 में अभ्यावेदिका को 02 सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 21.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है अभ्यावेदिका द्वारा पति–पत्नी प्रकरण के आधार पर जिला दुर्ग में स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया था जबकि उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदिका के पति रेल्वे में कार्य करते है जिन्हें कार्यस्थल से बाहर भी जाना पड़ता है, दो छोटे बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है उनका स्थानांतरण दुर्ग से 100 कि.मी. दूर कर दिया गया है उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर अभ्यावेदिका ने उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका ने पति–पत्नि के एक ही स्थल पर रहने एवं पारिवारिक कारणों के आधार पर स्थानातरण निरस्त करने का अनुरोध किया हैं। चूंकि श्रीमति साहू का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के अधार पर किया गया है। स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 में पति–पत्नी के एक ही कार्यस्थल पर रहने एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण निरस्त करने के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी.सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम– श्री मुकेश कुमार डडसेना
पद का नाम– व्याख्याता (एल.बी.)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
गोंडबहाल, वि.ख.– पिथौरा
जिला–महासमुन्द (छ.ग.)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्री मुकेश डडसेना, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. गोडबहाल, वि.ख.–पिथौरा, जिला–महासमुंद (छ.ग.) का प्रशासनिक आधार पर शास.उ.मा.वि. बोहरा सनौद, वि.ख. गुरूर, जिला–बालोद (छ.ग.) किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस॰ 7007/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 09.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनकी माताजी (आयु 77 वर्ष) जो सुगर, बी.पी., जोडों में दर्द, आंख की कमजोरी से पीडित हैं वे उनकी देखभाल के लिए एकमात्र संतान होने, विद्यालय प्रबंधन समिति, पालकगण एवं किसी जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत न होने तथा स्थानांतरित शाला वर्तमान विद्यालय से लगभग 240 कि.मी. दूर होने, व स्वयं द्वारा कोई स्थानांतरण न चाहने से उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। आवेदक द्वारा अपनी माताजी के सुगर, बी.पी., जोडों में दर्द, आंख की कमजोरी होने तथा पूर्व व वर्तमान विद्यालय के बीच 240 कि.मी. की दूरी होने का आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन **अमान्य** किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी॰)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी॰डी॰सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– **श्रीमती ममता थवाईत**
व्याख्याता (एल.बी.) जीवविज्ञान
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिलई
विकासखण्ड– अकलतरा
जिला– जांजगीर चांपा (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती ममता थवाईत, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिलई विकासखण्ड–अकलतरा जिला–जांजगीर चांपा का प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुदा (ब), विकासखण्ड–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 6935/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 09.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अभ्यावेदिका अपनी लकवा पीड़ित सास तथा एकमात्र पुत्री के साथ जांजगीर में निवास करती हूं एवं स्वयं गाइनी की पेशेंट हूं अभ्यावेदिका का एवं उनके सास का चांपा के अलग–अलग डॉक्टरों के पास इलाज चल रहा है। अभ्यावेदिका के पति रायगढ़ जिला में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। अतः घर की पूरी जिम्मेदारी अभ्यावेदिका पर ही है। अतः उपरोक्त आधार पर उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा जिस आधार पर स्थानांतरण निरस्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्तीकरण हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी॰)	(डी॰डी॰सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्री किशोर कुमार बर्मन**
पद का नाम – व्याख्याता (जीवविज्ञान)
पदस्थापना स्थान – शास.उ.मा. वि. अंकिरा, विकासखण्ड– फरसाबहार
जिला – जशपुर

----00----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री श्री किशोर कुमार बर्मन का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.उ.मा.वि. पत्थलगांव जिला जशपुर (छ॰ग॰) में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7237/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2022 में अभ्यावेदक को 12 दिवस के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदक विगत 12 वर्षो से अनुसूचित क्षेत्र में शास.उ.मा.वि. अंकिरा, वि.ख., फरसाबहार जिला–जशपुर में कार्यरत है, उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया था किन्तु उनकी पदस्थापना वांछित जगह न की जाकर शा.उ.मा.वि. पत्थलगांव, जिला जशपुर की गई है। अभ्यावेदक द्वारा 12 वर्षो सें अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के उपरान्त अपने गृह ग्राम के समीप शास.उ.मा.वि. ससहा, शास.उ.मा.वि.मुडपार एवं शास.उ.मा.वि. भैंसो, वि.ख.–पामगढ जिला जांजगीर चांपा में स्थनांतारण करने जिससे शासकीय दायित्वों के साथ साथ बूढी मां की देख रेख भी हो सके का उल्लेख करते हेय स्थानांतरण संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक द्वारा गृह ग्राम के नजदीक एवं अपनी माताजी की देखरेख का आधार देते हुये स्थानातरण संशोधित करने का अनुरोध किया हैं। श्री किशोर कुमार बर्मन का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के अधार पर किया गया है। स्थानांतरण नीति में पारिवारिक कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	**(अलरमेलमंगई डी॰)**	**(डी॰डी॰सिंह)**
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष
प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – श्री खेदू राम ठाकुर
पद का नाम – प्राचार्य
पदस्थापना स्थान – हाई स्कूल कारली दंतेवाड़ा
जिला – दंतेवाड़ा (छ.ग.)

———00———

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री खेदू राम ठाकुर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार परशास.उ.मा.शाला झापरा वि.ख.–सुकमा जिला सुकमा (छग) में किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7515/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 में अभ्यावेदक को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 26.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदक वर्ष 1996 से अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 28 साल से सेवायें दे रहे है। छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.4 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नहीं किये का लेख किया गया है। उनकी पत्नी भी शिक्षिका है दोनों एक ही स्टेशन पर पदस्थ है। उन्हें भी हाई कोर्ट स्टे मिल गया है संशोधन की स्थिति में दोनों पति पत्नी अपने गृह जिला बालोद वि.ख. डौंडी में स्थानांतरित किया जावे। अभ्यावेदक को सायटिका है जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदक द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 3.4 "**अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नहीं किया जाायेगा** " के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है। राज्य शासन किसी प्राचार्य/व्याख्याता/शिक्षकों को शैक्षणिक आवश्यकता के अनुरूप किसी भी शाला में स्थानांतरण करने का विशेषाधिकार रखता है। अतः समिति अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अमरमेलमंगई डी.)	(डी.डी.सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमती नीता शर्मा**
पद का नाम – व्याख्याता (इतिहास)
पदस्थापना स्थान – शास.उ.मा.वि. सरगवा, वि.ख.–अम्बिकापुर
जिला – सरगुजा

-----00-----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री श्रीमती नीता शर्मा का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शास.उ.मा.वि. अरगोती, वि.ख.– लखनपुर जिला सरगुजा में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7244/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 में समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 29.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्योवेदिका के पति श्री प्रमोद कुमार शर्मा, शा.मा.शाला गांधीनगर, वि.ख.–अम्बिकापुर में प्रधानपाठक के पद पर पदस्थ है। उनका एक पुत्र मुम्बई एवं एक पुत्री जे.एन.एम.मेडिकल कॉलेज रायपुर में अध्ययनरत है। अभ्यावेदिका अम्बिकापुर मुख्यालय मोहल्ला मायापुर में अपने पति एवं 85 वर्षीय वृद्ध पिताजी के साथ निवास करती है। वृद्ध पिताजी का स्वास्थ्य ठीक न होने से उनका इलाज जिला अस्पताल में चलता है। निवास स्थान से नवीन पदस्थापना स्थल की दूरी 55 कि.मी. होने से पारिवारिक दायित्वों के साथ पदीय दायित्वों का निर्वहन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 2.4 एवं 2.5 के अनुसार शास.उ.मा.वि. सरगवा वि.ख.–अम्बिकापुर में व्याख्याता अतिशेष रहने के बावजूद भी 03 व्याख्याता का स्थानांतरण नियम के विपरीत होने का उल्लेख किया है। अभ्यावेदिका हाई ब्लड प्रेशर एवं श्वास के रोग से पीडित है जिनका उपचार अम्बिकापुर मुख्यालय में चल रहा है। आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किया गया है। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में पारिवारिक कारणों एवं स्वास्थ्यगत कारणों से स्थानांतरण निरस्त करने के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– श्रीमती कुमुदिनी बाघ द्विवेदी
जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर चांपा
विकासखण्ड–
जिला–जांजगीर चांपा (छ॰ग॰)।

----00----

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22/12/2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती कुमुदिनी बाघ द्विवेदी, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला–जांजगीर चांपा (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदेली, जिला–रायगढ़ (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7102/2022 दायर किया है जिसमें पारित आदेश द्वारा अभ्यावेदक को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक निरंक को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर में लेख किया गया है कि अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 1.5 अनुसार "ऐसे शासकीय सेवक एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हो केवल उन्ही के स्थानांतरण किये जाएं" जबकि वर्तमान स्थान पर अभ्यावेदिका की पदस्थापना 08.02.2022 को की गई है। इसी कंडिका में अभ्यावेदिका के स्थान पर जिस जिला शिक्षा अधिकारी का पदस्थापना हुआ है उनका भी पदस्थापना उनके पूर्व विद्यालय में 7 माह पूर्व ही हुआ है, जो स्थानांतरण नीति का उल्लंघन हुआ है। अभ्यावेदिका के पति रविन्द्र कुमार द्विवेदी शिक्षक के पद पर शासकीय विद्यालय चांपा में पदस्थ हैं। अतः पति–पत्नी समायोजन प्रकरण के तहत स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। कुछ समय पहले पिताजी का निधन वर्तमान में हुआ है और माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा स्वयं का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के विरूद्ध हुआ है का लेख करते हुए उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

3/ श्रीमती कुमुदिनी बाघ द्विवेदी से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा स्थानांतरण निरस्त कराने हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 1.5 का लेख किया गया है वह कंडिका जिला स्तर पर किये गए स्थानांतरण प्रकरणों पर लागू होगा। एवं अन्य कारणों का स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में प्रावधान नहीं है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदिका का नाम –श्रीमती दीप द्विवेदी
पद का नाम – व्याख्याता (जीव विज्ञान)
पदस्थापना स्थान – शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय सिलतरा, विकासखण्ड–धरसींवा
जिला – रायपुर (छ॰ग॰)।

समिति की अनुशंसा
(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती दीप द्विवेदी, व्याख्याता (जीव विज्ञान), शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय सिलतरा, विकासखण्ड – धरसींवा, जिला–रायपुर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय विश्रामपुर, विकासखण्ड–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7081/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/11/2022 द्वारा याचिकाकर्ता को 12 दिवस के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति द्वारा 03 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में अभ्यावेदिका द्वारा वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी अनुसार आवेदिका वर्ष 2014 से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। कार्यालय जिला पंचायत रायपुर के आदेश क्रमांक 7857/शिक्षा/स्थ.1/स्थाना./2014, दिनांक 04.12.2014 द्वारा शा.उ.मा. वि. आरंग, जिला रायपुर से शा. उ.मा. वि. सिलतरा, वि.खं. धरसींवा, जिला रायपुर किया गया था। वर्तमान में आवेदिका द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर में निरंतर इलाज चल रहा है, आपात स्थिति में रायपुर से दूर रहकर इलाज करवा पाना संभव नहीं हो पायेगा। आवेदिका का पुत्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। मिड सेसन में अभिभावक से दूर रहने पर उसके शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त आधार पर अभ्यावेदिका द्वारा अपना स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ श्रीमती दीप द्विवेदी से प्राप्त अभ्यावेदन का स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में परीक्षण किया गया। श्रीमती द्विवेदी द्वारा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थगत एवं पारिवारिक कारण के आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अतः स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त, नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा **सदस्य**	**सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदिका – श्रीमती लीला श्रीवास्तव
व्याख्याता (एल.बी.) अंग्रेजी
शास.उ. मा.शाला बांकी,
वि.खं. व जिला मुंगेली (छ.ग.)

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती लीला श्रीवास्तव, व्याख्याता (एल.बी.) अंग्रेजी, शास. उ.मा.शाला बांकी, वि.खं. व जिला मुंगेली का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर शास. उ.मा.शाला गोढ़ीकला, वि.खं. नवागढ़ जिला बेमेतरा में किये जाने के कारण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 7251/2022 दायर की गई थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 11.11.2022 में मान. न्यायालय द्वारा श्रीमती श्रीवास्तव को 02 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में समिति को अभ्यावेदन पर 03 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गए है।

2/ माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती श्रीवास्तव ने वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ अभ्यावेदन दिनांक 14.10.2022 पुनः प्रस्तुत किया है। श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यावेदिका के पति सहायक जिला ग्रंथपाल के पद पर शासकीय जिला ग्रंथालय मुंगेली में पदस्थ है। शासन के नियमानुसार पति–पत्नी दोनो शासकीय सेवा में होने पर (समान विभाग) एक ही स्थान पर पदस्थ किया जाना है किन्तु उनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में किया गया है जो नियम के विपरीत है। उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों एवं उल्लेखनीय लोक सेवा, अनुकरणीय अध्यापन, उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु सत्र 2021–22 में राज्य स्तरीय पुरूस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंगेली में निवासरत उनके स्थान पर पदस्थ शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत लाभ एवं स्वार्थ के तहत प्रशासनिक

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अव्यस्क पुत्र एवं 80 वर्षीय सास की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनके विरूद्ध जनप्रतिनिधि, नागरिको एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। उपरोक्त कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी का परीक्षण किया गया है। अभ्यावेदिका का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। पति–पत्नी को यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थ करने, अव्यस्क पुत्र एवं सास की जिम्मेदारी एवं सत्र 2021–22 में राज्य स्तरीय पुरूस्कार से सम्मानित किये जाने को आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में स्थानान्तरण नीति वर्ष, 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानान्तरण से स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 की किसी कंडिका का उल्लंघन नहीं होता है। अतएव समिति अभ्यावेदन **अमान्य** करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग एवं वन विभाग
तथा अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा सदस्य
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी. सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्रीमती भगवती सन्नाठ
व्याख्याता अंग्रेजी
शा.उच्च.मा.शा. लखराम
वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर।

समिति की अनुशंसा
(दिनांक–22-12-2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती भगवती सन्नाठ, व्याख्याता अंग्रेजी, शा.उच्च.मा.शा. लखराम, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.हाईस्कूल बिटकुली, वि.खं. कोटा, जिला बिलासपुर में किया गया है। श्रीमती सन्नाट ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 6666/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को **10 दिवस के भीतर** समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **03 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्रीमती सन्नाठ द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21.10.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदिका के पति सी.आर.पी.एफ में प्रधान आरक्षक (रेडियो) के पद पर काठगोदाम (नैनीताल) में पदस्थ है। आवेदिका का सात वर्षीय पुत्र कक्षा दूसरी बिरला ओपन माईंड स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत है जिसकी देखभाल के लिए आवेदिका के अतिरिक्त कोई भी महिला एवं पुरूष नही है। आवेदिका का वर्तमान स्थानांतरण का कार्यस्थल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिटकुली, ब्लाक कोटा, जिला बिलासपुर से आवेदिका के निवास स्थान से 80 किमी. की दूरी होने के कारण विद्यालय पहुचने हेतु नियमित परिवहन का साधन उपलब्ध नही है। उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त कर यथावत रखे जाने अथवा बिलासपुर शहर के निकट किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्रीमती सन्नाठ का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। आवेदिका द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित कारणों को आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक– श्रीमती अल्का मेहर
व्याख्याता (एल.बी.) जीव विज्ञान
शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाभरेगांव
विकासखण्ड– राजनांदगांव
जिला– राजनांदगांव (छ॰ग॰)।

–––––00–––––

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/09/2022 द्वारा श्रीमती अल्का मेहर, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भरेगांव, विकासखण्ड/जिला–राजनांदगांव (छ॰ग॰) का प्रशासनिक आधार पर पं.तुलसी प्रसाद मिश्रा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चिरचारीकला, विकासखण्ड–छुरिया, जिला– राजनांदगावं (छ॰ग॰) स्थानांतरण किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू॰पी॰एस॰ 7070/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 द्वारा वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 14.10.2022 को वरिष्ठ सचिवों के समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मेरी सेवा निवृत्ति मात्र 2 वर्ष शेष है तथा गत वर्ष कोविड–19 में मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। अन्यत्र स्थानांतरण से मेरी 8 वर्षीय बालिका के लालन–पालन व अध्यापन प्रभावित होने की आशंका है। स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका क्रमांक 1.4 के अनुसार जिन पदों एवं स्थानों पर कर्मचारी का आधिक्य है, किसी भी परिस्थिति में न्युन्ता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जायेगा, ताकि संतुलन बना रहे इस हेतु उक्त स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका का स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया है। स्वयं का सेवा निवृत्ति 2 वर्ष शेष व एकल अभिभावक होने बच्चे की पढ़ाई का आधार दिया गया है। उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यावेदन में उल्लेखित स्थानांतरण नीति की कंडिका 1.4 जिला स्तर के स्थानांतरण प्रकरणों पर लागू होगा। अतएव समिति अभ्यावेदन अमान्य करने अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी॰)	(डी॰डी॰सिंह)
प्रमुख सचिव,	सचिव	सचिव
छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन	छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा	वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं	सामान्य प्रशासन विभाग
अध्यक्ष	विकास विभाग तथा सदस्य	तथा सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति	वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष

प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक का नाम – **श्रीमती जीनत सिंग**
पद का नाम – व्याख्याता (कॉमर्स)
पदस्थापना स्थान – शास. हा.से. स्कूल पकरिया, वि.ख.–गोरैला
जिला – गौरेला–पेंड्रा–मारवाही (छ.ग.)

----00----

समिति की अनुशंसा

(दिनांक 22-12-2022)

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती जीनत सिंग का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शास. हा.से. स्कूल केनवाची, वि.ख. गौरेला, जिला गौरेला–पेंड्रा–मारवाही (छ.ग.) में किया गया है। अभ्यावेदिका द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस 7186/2022 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 में अभ्यावेदक को 12 दिवस के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा समिति को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर, विधिवत् निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय न्यायालय के आदेश के तारतम्य में अभ्यावेदिका द्वारा दिनांक 18.11.2022 को वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि अभ्यावेदिका का स्थानांतरण शास. हा. से. स्कूल केनवाची वि.ख.–गौरला जिला गौरेला–पेंड्रा–मारवाही (छ.ग.) में किया गया है। उक्त शाला में विषय व्याख्याता (कॉमर्स) का पद रिक्त नहीं है, स्थानांतरण नीति, 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिये विशेष उपबंध की कंडिका 3 के आधार पर उनका स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया। अभ्यावेदिका के अभ्यावेदन में नवीन पदस्थापना स्थल शास.हा.से. स्कूल केनवाची. वि.ख.–गौरेला जिला गौरेला–पेंड्रा–मारवाही (छ.ग.) में विषय व्याख्याता कॉमर्स का पद रिक्त नहीं होने का आधार दिया गया गया है। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के कंडिका 1.4 (जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके) अनुसार अभ्यावेदिका द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिए गए उक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त किये जाने का प्रावधान है। इस सबंध में अभ्यावेदिका द्वारा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति अभ्यावेदन अमान्य किए जाने की अनुशंसा करती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं वन विभाग तथा
अध्यक्ष
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं नगरीय प्रशासन एवं
विकास विभाग तथा **सदस्य**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
तथा **सदस्य सचिव**
वरिष्ठ सचिवों की समिति

Scanned with OKEN Scanner

स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन

अभ्यावेदक–श्री नन्दकिशोर तिवारी
प्रधानपाठक
शा. (आ.जा.क.) पूर्व मा. शा. बोझा,
वि.खं. प्रतापपुर, जिला–सूरजपूर।

समिति की अनुशंसा

(दिनांक–22-12-2022)

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री नन्दकिशोर तिवारी, प्रधानपाठक, शा. (आ.जा.क.) पूर्व मा. शा. बोझा, वि.खं. प्रतापपुर, जिला–सूरजपूर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शा.प.मा.शाला इंदिरावतीपुर, वि.खं. रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर में किया गया है। श्री तिवारी ने उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP (S) No. 7281/2022 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को 10 दिवस के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समिति को उक्त अभ्यावेदन पर **03 सप्ताह** के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में श्री तिवारी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 26.10.2022 वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक किडनी रोग से पीड़ित है। आवेदक का सप्ताह मे तीन बार होली कास हास्पिटल, अंबिकापुर में डायलिसिस होता है। शा. (आ.जा.क.) पूर्व मा. शा. बोझा, वि.खं. प्रतापपुर, जिला–सूरजपूर से स्थानांतरित शा. पूर्व माध्यमिक शाला इंदिरावतीपुर की दूरी अंबिकापुर से 139 किमी. है। जिसके कारण आवेदक को 278 किमी आना–जाना करना पड़ेगा। आवेदक का इतनी दूरी तय कर Daignosis करवाना और शिक्षकीय कार्य करना असंभव हो रहा है। उपरोक्त आधार पर स्थानांतरण निरस्त करते हुए (1) शा.पूर्व.मा.शा. बेनीपुर, वि.ख. अंबिकापुर (2) शा.पूर्व.मा.शा. खलिश, वि.ख. अविंकापुर (3) शा.पूर्व मा.शा., भिड़ीखुर्द, वि.ख अंबिकापुर में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्री तिवारी का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अभ्यावेदक द्वारा उनके अभ्यवेदन पर उल्लेखित कारणों के आधार पर स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 में प्रावधन नही है। तथापि अभ्यावेदक के स्वयं के गंभीर स्वास्थ्यगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के अभिमत अनुसार प्रशासकीय विभाग उक्त स्थानांतरण निरस्त करने हेतु विभागीय स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है।

(मनोज कुमार पिंगुआ)	(अलरमेलमंगई डी.)	(डी.डी. सिंह)
प्रमुख सचिव	सचिव	सचिव
गृह विभाग एवं वन विभाग	वित्त तथा नगरीय प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग एवं
एवं अध्यक्ष	एवं विकास विभाग एवं	सदस्य सचिव
वरिष्ठ सचिवों की समिति	सदस्य	वरिष्ठ सचिवों की समिति
	वरिष्ठ सचिवों की समिति	

Scanned with OKEN Scanner